

प्रारूप-22

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट में कपकोट पिण्डहरी ग्लेसियर मोटर रोड से काफली कमेडा मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 6.287 हे० सिविल / वन पंचायत भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 11.250 किमी०।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	वनखासक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										90 से अधिक	योग
					20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90					
1	आरक्षित वन भूमि				0	0	0	0	0	0	0	0				
2	सिविल सौधम															
3	वन पंचायत															
4	संरक्षित वन															
	योग - वन भूमि															
5	नाप भूमि															
	कुल योग															
	-															

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

राजि अ०

राजि अ०

प्रमुख अधिकारी
स्थलीय वन विभाग
बागेश्वर जल प्रसार
बागेश्वर

प्रारूप-21

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट में कपकोट पिण्डारी ग्लेसियर मोटर रोड से काफली कमेडा मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 6.287 हे० सिविल / वन पंचायत भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 11.250 किमी०।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र०स०	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1	आरक्षित वन भूमि			
2	सिविल सांयम	113	68	
3	वन पंचायत	438	203	
4	सरक्षित वन			
	योग :- वन भूमि			
5	नाप भूमि	47	20	
	कुल योग :-	598	291	

598 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 291 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

राजि अ०

प्रमाणीय वनाधिकारी

